

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 262/2023

जी.सी.एम.एस.संख्या :- 2023/424

प्रार्थीगण	विप्रार्थी
1.अजयकुमार पुत्र पारसमल	राजस्थान सरकार जरिए
2.अणदाराम पुत्र वरदाराम	तहसीलदार पचपदरा
3.कैलाशकुमार पुत्र पारसमल	
4.किस्तुराराम पुत्र वरदाराम	
5.गोविन्दराम पुत्र वरदाराम	
6.जोगाराम पुत्र पारसमल	
7.नरपतराम पुत्र वरदाराम	
जाति मेघवाल	
निवासी बोरावास तहसील पचपदरा व	
जिला बालोतरा	

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

- 1.श्री भूपेन्द्र गहलोत,प्रार्थीगण अधिवक्ता
- 2.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित।

:निर्णय:

दिनांक- 09/09/24

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण 1.अजयकुमार 2.अणदाराम 3.कैलाशकुमार 4.किस्तुराराम 5.गोविन्दराम 6.जोगाराम 7.नरपतराम जाति मेघवाल निवासी बोरावास तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 373/54 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टेयर मौजा बोरावास तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी का खसरा संख्या 54 क्षेत्रफल 29.2587 हैक्टेयर भूमि में से 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जारी किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल हैं।



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

03. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन-पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी का खसरा संख्या 54 क्षेत्रफल 29.2587 हैक्टेयर मौजा बोरावास में से प्रार्थी के खातेदारी खेत संख्या 373/54 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टेयर तक बरग हरा चौड़ा रास्ता 30 फिट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावे। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता है, प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। अतः तहसीलदार पंचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो प्रार्थीगण को आपत्ति नहीं।

04. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार ने निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है, तो आपत्ति नहीं है।

05. हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 54 क्षेत्रफल 29.2587 हैक्टेयर में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। जवाब में विप्रार्थी ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए, जिसके अनुसार :-

i. ग्राम बोरावास तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 373/54 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 54 क्षेत्रफल 29.2587 हैक्टेयर किस्म गै.मु.खार में से 30 फीट चौड़ाई X लम्बाई 2475 फीट= 74250 वर्गफीट यानि 4.05 बीघा भूमि प्रस्तावित की गई हैं तथा प्रस्तावित रास्ता जो कि निकटतम एवं उपयुक्त है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है।

06. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251-क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं, जिसके अनुसार:-

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अकधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

07. चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 373/54 में आवागमन हेतु राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं, अतः उक्त वर्णित धारा 251-क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया है। विप्रार्थी नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की चौड़ाई 30 फीट x लम्बाई 2475 फीट=74250 वर्गफीट यानि 04.5 बीघा बनता है, जो खसरा संख्या 54 में होकर गुजरता है तथा प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प बताया है, इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में न ही राजहित के प्रभावित होने का उल्लेख किया है। उक्त विवेचन के आधार पर विप्रार्थी नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ता A-B अधिक उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता है।

08. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है, अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज-6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं, जिसके अनुसार:-

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुतम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

2

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा



उक्त वर्णित प्राक्धानों के अनुसरण में नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता मार्क A-B कुल रकबा 4.05 बीघा की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर-1,14,279 रुपये प्रति हैक्टर के अनुसार प्रतिकर हेतु दुगुनी देय राशि- 9,71,372/-रुपये बनती है,जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा ग्राम बोरावास तहसील पचपदरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 373/54 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 54 क्षेत्रफल 29.2587 हैक्टर में से संलग्न नक्शानुसार मार्क A-B लम्बाई 30 फीट चौड़ाई X लम्बाई 2475 फीट=74250 वर्गफीट यानि 4.05 बीघा भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 9,71,372/- (अक्षरे नौ लाख इकहतर हजार तीन सौ बहतर) रूपयें की राशि राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाए जाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।



निर्णय आज दिनांक 09-9-2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



(राजेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा



उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा